भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15AA 724691

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्री पाल सिंह एजुकेशन समिति ग्राम हुसैनापुर ककराडू पो० कुर्रिया कलाँ जिला शाहजहाँपुर की प्रमाणित प्रतिलिपि के संशोधित नियमावली संलग्नक है जिसकी पत्रावली संख्या B.25468 है

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ, बरेली क्षेत्र, बरेली उ०प्र०

Singh

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15AA 724698

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्री पाल सिंह एजूकेशन समिति ग्राम दुलैनापुर ककराइ पो० गुर्गिया कलां जिला शाहजहांपुर की प्रमाणित प्रतिलिपी के सूची वर्ष 2006-07 संलग्नक है जिसकी फाइल संख्या B. 25468 है

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, बरेली क्षेत्र, बरेली उ०प्र०

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल,बरेली (उ०प्र०)

Scanned with CamScanner

संशोधित नियमावली

1- संस्था का नाम : श्रीपाल सिंह एजूकेशन समिति

2- संस्था का पता : ग्राम हुसैनापुर ककराई पो0कुरिया कला
जिलाशाहजहाँपुर,

3- संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तरप्रदेश,

4- संस्था की सदस्यता एवं सदस्यो के वर्ग:-

कोई भी बालिग व्यक्ति जो कार्यक्रमो से सहमत हो संस्थाके उद्देश्यो में आस्था रखता हो संस्थाका सदस्य बन सकेगे जो व्यक्ति जिस वर्ग काशुल्क देगा वह उसी वर्ग का सदस्य बन सकेगा। सदस्यता निम्नवत् होगी ।

(क) आजीवन सदस्य
(ख) साधारणसदस्य
(ग) विशिष्ठ सदस्य

आजीवन सदस्य- इस संस्थाको मुवलिग 1001/-रुपया एक बार मे नकदया इसके समक्ष चल अचल सम्पत्ति प्रदान करके कोई व्यक्ति इस संस्था का आजीवन सदस्य बन सकेगा।

साधारण सदस्य- संस्था को मात्र 50/-रुपया वार्षिक अथवा 5रुपये प्रतिमाह सदस्यताशुल्क देने वाले सज्जन इससंस्थाके साधारण सदस्य कहलायेगे।

विशिष्ठसदस्य- संस्था को 500/-रुपया एक मुश्त नकद या इसके समक्ष चल अचल सम्पत्ति प्रदान करने वाले व्यक्ति पाँच साल के लिए विशिष्ठ सदस्य कहलायेगे।

5- सदस्यता की समाप्ति- निम्नांकित परिस्थितियो मे सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(1) किसीकारण से सदस्य की मृत्यू हो जाने पर।
(2) किसीसदस्य के पागल या दिवालिया होने पर।
(3) किसी सदस्य को किसीन्यायालय द्वारा अनैतिक अपराधमे लिप्त होने पर दन्डित किया जाने पर।
(4) संस्थाके नियमो काउल्लंघन करने पर।

श्रीपाल सिंह एजूकेशनल समिति
ग्राम हुसैनापुर ककराई, पो० कुरिया
शाहजहाँपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल,बरेली (उ०प्र०)

§5§ लगातार तीन बैठको मे बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर।

§6§ किसीसदस्य का त्यागपत्र आने व उसके स्वीकार हो जाने पर।

§7§ संस्था को किसी प्रकार से नुकसान पहुँचाने पर ।

§8§ किसीसदस्य की मृत्यू हो जाने पर।

6- संस्थाके अंग - संस्था के निम्नांकित दो प्रकारके अंग होंगे।

§क§ साधारणसभा

§ख§ प्रबन्धकारिणी समिति,

7- साधारणसभा का गठन, बैठक, कोरम, सूचना अवधि आदि-

गठन- संस्था की साधारण सभा का गठन समस्त प्रकारके सदस्यो को मिलाकर होगा इन समस्त सदस्यो को अपनागत प्रयोग करने का अधिकार होगा।

बैठके- साधारण सभा की सामान्यबैठक एक साल मे कम से कम दो बार होगी तथाआवश्यक बैठक का आयोजन समयानुसार किसी भी समय हो सकेगा।

बैठको की सूचना अवधि- सभी सदस्यो को साधारणसभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 8 दिन पहले दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पहले दीजायेगी यह सूचना व्यक्तिगत अथवा डाक माध्यम से एजेन्डा के द्वारा दी जायेगी।

बैठको कीगणपूर्ति- कुल सदस्यो की संख्याके 2/3 बहुमत से सदस्यो की उपस्थिति बैठक मे होने परइसकी बैठको का कोरमपूर्ण होगा इस प्रकार बैठको का कोरम 2/3 होगा कोरम की प्रतीक्षा निश्चित समय के आधा घंटा बाद तक की जायेगी।

विशेष बार्षिक अधिवेशन व उसकी तिथि- संस्थाका विशेष बार्षिक अधिवेशन प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर हर साल के अन्तिम सप्ताह मे होगा इसमे सालाना बजट पर विचार होगा इसकी सूचना सदस्यो को एक माह पूर्व दी जायेगी।

साधारण सभाके कर्तव्य अधिकार :-

§1§ समिति के अगले साल के बजट का अनुमोदन करना।

§2§ संस्था की व्यवस्था मे सहयोग प्रदान करना।

§3§ संस्था सम्बन्धी किये जाने बाले कार्यकलापो पर विचार करना तथा उनकीस्वीकृति देना।

- अर

[signatures]

श्रीपाल सिंह कुलवेशजली समिति
ग्राम हुसैनपुर ... कुरिया
शाहजहाँपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)

§4§ संस्था कीचल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था आदि करना।

8- प्रबन्धकारिणी समिति कागठनबैठक कोरम सूचना अवधिआदि-

गठन- साधारणसभाके सदस्यो द्वारा अपने सदस्यो मे से प्रबन्धसमिति का गठन किया जायेगा जिसमे सदस्यो की संख्या पदाधिकारियो सहित न्यूनतम सात व अधिकतम 25 हो सकेगी कोई भी पदाधिकारी पुन: भीचुना जा सकेगा। इसमे तीन पदेनसदस्य प्रधानाचार्य का पद भी होगा।

बैठके- प्रबन्धसमिति की सामान्यबैठक एकसाल मे चार बार होगी तथा आवश्यकता होने पर कभी भीविशेष बैठक का आयोजनहो सकेगा।

सूचना-सामान्यबैठक की सूचना अवधि 3 दिन पहले व विशेष बैठक की सूचना अवधि24 घन्टे पूर्व रहेगी सूचना एजेन्डा से डाक अथवा व्यक्तिगत माध्यमसे दी जायेगी।

गणपूर्ति- 2/3 बहुमत से सदस्यो की उपस्थिति हो जाने पर बैठको का कोरमपूर्ण होगा इस प्रकारकोरम 2/3 होगाकोरम की प्रतीक्षा निश्चित समय से आधा घन्टा बाद तक की जायेगी।

रिक्त स्थानो की पूर्ति- प्रबन्धकारिणी समिति मे यदि किसी सदस्य या पदाधिकारिरी का कोई स्थान रिक्त होगा तो रिक्त होने बाले स्थानो की पूर्ति साधारण सभा के सदस्यो द्वारा2/3 बहुमत से अपने सदस्यो मे शेष कार्यकाल के लिय की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकार:-

1- संस्थाके विकास के कार्यक्रमो को तैयार करना तथा साधारण सभा की स्वीकृति से क्रियान्वित करना।

2- संस्था की रोकड तथाकीमती दस्तावेजो कीजाँच करना ।

3- संस्थाकी धनराशि परनियंत्रण रखना।

4- बार्षिक बजट व प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना।

कार्यकाल:- प्रबन्धकारिणी समिति के कार्यकाल की अवधि 5 साल होगी।

- 4पर

श्रीपाल सिंह ... समिति
ग्राम हुसैनपुर ..., पो० ...
शाहजहाँपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)

Scanned with CamScanner

9- प्रबन्धकारिणी समिति के पदधिकारियो के अधिकार एवं कर्तव्य:-

अध्यक्ष§ 1§ संस्था की देखभाल करना व मार्गदर्शनकरना।

§ 2§ संस्थाकी समस्त बैठको कीअध्यक्षता करना।

§ 3§ आपातकालीन स्थिति मे आवश्यक बैठक बुलाना ।

§ 4§ समानमत होने पर एक अलग मत देने का अधिकार होगा ।

§ 5§ संस्थाके हित मे 500/-रुपये तक व्यय करने की स्वीकृति देना ।

उपाध्यक्ष- अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उसके कर्तव्यो का निर्वाह करना।

प्रबंधक § 1§ समस्त पत्र व्यवहारकरना व उसका रिकार्ड सुरक्षित रखना।

§ 2§ साधारण सभा व प्रबन्धकारिणी समिति की बैठको कीकार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर मे नियमित रुपसे लिखना।

§ 3§ समस्त सहायताके तौर पर प्राप्त होने वाला दान, अनुदान,चन्दा आदि प्राप्त करना व उसका हिसाब रखना।

§ 4§ आवश्यकता होने पर संस्थाके कर्मचारियो की नियुक्ति पदोन्नति आदि करना।

§ 5§ बैठको का ऐजेन्डा जारी करना।

§ 6§ संस्थाका मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा।

§ 7§ संस्था की ओर से जाने वाले प्रपत्रो पर हस्ताक्षर करना।

§ 8§ वार्षिक प्रतिवेदनतैयार करना।

उपप्रबन्धक- प्रबन्धक की अनुपस्थिति मे उसके कार्यो को पूरा करना।

कोषाध्यक्ष § 1§ प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णानुसार धन व्यय करना।

§ 2§ संस्थाके बिलो का भुगतान सम्बन्धित पदाधिकारी के हस्ताक्षर होने पर करना।

§ 3§ आय व्यय का सम्पूर्ण एवं विधिवत लेखा जोखा रखना।

10-संस्थाके नियमो विनियमो मे संशोधान प्रक्रियाँ-

साधारणसभा की विशेष बैठक मे 3/5 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर संस्था के नियमो मे संशोधन परिवर्तन प्रक्रियाँ होगी तथा उद्देश्यो मे परिवर्तन के लिये सर्वप्रथम प्रबंधसमिति तदुपरान्त साधारणसभा मे 3/5बहुमत से पारितप्रस्तावके आधारपर संशोधन परिवर्तन हो सकेगा।

- 5पर

श्रीपाल सिंह एजूकेशनल समिति
ग्राम हुसैनपुर ..., पो० कुरिया
शाहजहाँपुर

11- संस्था का कोष- संस्थाके नाम से कोष मान्यता प्राप्त बैंक एवं पो० आफिसमे खोलाजायेगा जिसमे समस्त धनराशि जमा की जायेगी इस खाते से धन निकालने के लिये प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरो से होगा।

12- संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण§आडिट§ :- प्रतिवर्ष अथवा आवश्यकता अनुसार कभी भीसंस्थाके आय व्ययकी जाँच आडिटर से करायीजायेगी और जाँच आख्या प्रबन्धकारिणी समिति मे प्रस्तुत की जायेगीऔरइसकी बार्षिक बैलेन्सशीटतैयार की जायेगी

13- संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाहीके संचालन का उत्तरदायित्व:- यदि संस्था कोई वाद दायर करतीहै अथवा संस्थाके विरुद्ध कोई वाद किसी न्यायालय मे आताहै तो इसकी पैरवी संस्थाके प्रबन्धक द्वारा कीजायेगी।

14- संस्थाके अभिलेख- संस्थाके निम्नांकित अभिलेख होगे। अभिलेखो की तैयारी हिन्दी देवनागरी लिपि मे होगी।

§ 1§ सदस्यता पंजिका

§ 2§ कार्यवाही पंजिका,

§ 3§ स्टाक पंजिका,

§ 4§ कैशबुक आदि

15- संस्थाके विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण कीकार्यवाही:- उन परिस्थितियो मे जबकि संस्था विघटित हो जायेगी अथवा संस्था का विघटन हो जायेगातो इसकी चल अचल सम्पत्ति के निस्तारण कीकार्यवाही सोसा० रजि० ऐक्ट की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

कृ०प०उ० 6पर

श्रीपाल सिंह ग्रामीण सेवा समिति
ग्राम दुर्गापुर रूकमपुर पो० कुरिया
शाहजहाँपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)

16 :§ख§ :- नियम-

क- महाविधालय का प्राचार्य प्रबन्धतन्त्र का पदेनसदस्यहोगा।

ख- प्रबन्धतंत्र के पच्चीस प्रतिशत सदस्य अध्यापक है§जिसमे प्राचार्य भीहै§

ग- अध्यापक §खंड ख §मे निदिष्ट प्राचार्य को छोडकर ज्येष्ठताक्रम मे चक्रानुक्रम से एक वर्ष कीअवधि के लिए ऐसे सदस्यहै।

गग- प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य महाविधालय तृतीय वर्ग के शिक्षणोत्तर कर्मचारियो मे से होगा जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठताक्रम मे एक वर्ष की अवधि के लिए कियाजायेगा।

घ- खण्ड§ग§ के उपबन्धो के अधीन प्रबन्धतंत्र के कोई दो सदस्य धारा 20 के स्पष्टीकरणके अन्तर्गत एक दूसरे के नातेदार न होगे।

ङ- उक्त संविधानमे कुलपति की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नही कियाजायेगा।

च- यदि कोई ऐसाप्रश्न उठे कि प्रबन्धतंत्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप मे कोई सम्यक रूप के चुना गया है या नहीअथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार है या नही या प्रबन्धतंत्र वैध रूप से गठित है या नही तो कुलपति का विनिश्चिय अन्तिम होगा।

छ- महाविधालय कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियो के समक्ष या विश्वविधालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक पैनेल के समक्ष महाविधालय की आय और व्यय से सम्बन्धितसभी मूल दस्तावेजो को ऐसी सोसाइटी, न्याय बोर्ड यामूल निकाय के लेखे सहित जो महाविधालय को चला रही हो रखने के लिएतैयाररहै।

ज- परिनियम 11.06 मे निदिष्ट विन्यास निधि से प्राप्त आय महाविधालय के पोषणके लिए उपलब्ध रहेगी।

सत्यप्रतिलिपि,

दि० 21-7-06

श्रीपाल सिंह कृषि कल्याण समिति
ग्राम दुर्गापुर ... पो० कुरिया
शाहजहाँपुर

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)

श्री पाल सिंह एजूकेशनल समिति , ग्राम हुसेनापुर ककराई पो0कुर्रिया कला, शाहजहाँपुर

प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची वर्ष 2006 – 2007

क्र0 सं0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री शिवराम सिंह पुत्र श्री धर्मजीत सिंह	ग्राम कुतलुपुर पो0 मिर्जापुर, शाहजहाँपुर	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्री राकेश सिंह पुत्र(D) श्री श्रीपाल सिंह	,, ,, ,,	उपाध्यक्ष	,,
3.	श्री सन्तन पाल सिंह पुत्र श्री धर्मजीत सिंह	,, ,, ,,	प्रबंधक	,,
4.	श्री राजेश्वर सिंह पुत्र श्री राम सिंह	,, ,, ,,	उपप्रबंधक	,,
5.	श्रीमती सुमनलता पत्नी श्री सन्तनपाल सिंह	,, ,, ,,	कोषाध्यक्ष	गृहिणी
6.	श्री राम प्रकाश सिंह पुत्र श्री धर्मजीत सिंह	,, ,, ,,	सदस्य	कृषि
7.	श्री नरेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री श्रीपाल सिंह	,, ,, ,,	सदस्य	,,
8.	ढाकन सिंह पुत्र श्री ब्रजपाल सिंह	ग्राम ढका पो0 म्याऊ, बदायू	सदस्य	,,
9.	रामशीख सिंह पुत्र श्री राधेश्याम यादव	ग्रा0 व पो0 शाहबाद हरदोई	सदस्य	,,
10.	ध्यानपाल सिंह पुत्र श्री बाबूराम यादव	ग्रा0 दारानगर पो0 कलान शाहजहाँपुर	सदस्य	,,
11.	शेर सिंह पुत्र श्री दोदराम सिंह	ग्राम दारानगर पो0 पटना शाहजहाँपुर	सदस्य	,,
12.	तेजराम पुत्र जयलाखन	ग्रा0 कुतुलपुर पो0 मिर्जापुर शाहजहाँपुर	सदस्य	,,
13.	डा0 जयदयाल सिंह पुत्र श्री हरलाल सिंह	श्री धर्मजीत सिंह महाविद्यालय मिर्जापुर शाहजहाँपुर	पदेनसदस्य	प्राचार्य
14.	डा0 सुधीर कुमार भारद्वाज पुत्र श्री गंगाराम शर्मा	,, ,, ,,	पदेनसदस्य	प्रवक्ता
15.	डा0 अनुपम कुमार मिश्रा श्री कैलाश चन्द्र मिश्रा	,, ,, ,,	पदेनसदस्य	प्रवक्ता

श्रीपाल सिंह एजूकेशनल समिति
ग्राम हुसैनापुर ककराई, पो0 कुर्रिया
शाहजहाँपुर

सत्यप्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ0प्र0)

Scanned with CamScanner